Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. RO/1/2019/MHRD2/SEPROM/RU-III

Date: 20.11.2019

To,

1. The Registrar,
University of Delhi,
Benito Juarez Marg, South Campus,
South Moti Bagh,
New Delhi - 110021

2. The Principal,
University College of Medical Sciences,
Gate No:2, Tahirpur Rd, Dilshad Garden, New Delhi - 110095

Sub: Minutes of sitting taken by Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 14.10.2019 in the matter of Representation dated 12.07.2019 of Shri Rajesh Oraon, C-118, GTB Hospital Campus, Dilshad Garden, Delhi - 110095 regarding promotion.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the sitting taken by Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) **on 14.10.2019 at 03.00 p.m.** for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within 30 days.

Encl: As above

Yours faithfully,

(R.K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information:

1. Shri Rajesh Oraon,
C-118, GTB Hospital Campus,
Dilshad Garden, Delhi – 110095
Mob:981018578, E-mail: oraon254@gmail.com
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RO/1/2019/MHRD2/SEPROM/RU - III)

श्री राजेश उरांव, सी-118, जीटीबी अस्पताल परिसर, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय कॉलेज में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 14.10.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री राजेश उरांव, सी- 118, जीटीबी अस्पताल परिसर, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय कॉलेज में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के मामले में आयोग को अभ्यावेदन दिया था जिस पर आयोग की ओर से दिनांक 05.08.2019 को नोटिस भेजा गया था।
2. प्रकरण में विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा दिनांक 05.09.2019 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया था कि श्री राजेश उरांव दिनांक 08.04.1999 को सीधी नियुक्ति के तहत स्टेनोग्राफर के रूप में कॉलेज में नियुक्ति हुए थे। दिनांक 24.12.2003 को विभागीय पदोन्नति कमेटी (DPC) की बैठक में पदोन्नति हेतु उनके नाम पर विचार किया गया किन्तु उन्हें स्टेनोग्राफर से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया।
   कार्यकारिणी परिषद के संशोधन संख्या 18 दिनांक 01.04.2005 के अनुसार स्टेनोग्राफर कैडर को सहायक के कैडर से अलग कर दिया गया। कार्यकारिणी परिषद की अनुशंसा के अनुसार स्टेनोग्राफिक श्रेणी को (यथा- स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, वरिष्ठ निजी सहायक व निजी सचिव) और सहायक श्रेणी (यथा- कनिष्ठ सहायक, सहायक, वरिष्ठ सहायक और अनुभाग अधिकारी) दो अलग स्वतंत्र कैडरों में विभाजित कर दिया गया। वर्ष 2014 में वे स्टेनोग्राफर के रूप में सीमित विभागीय परीक्षा (LDE) में सम्मिलित हुए लेकिन सफल नहीं हुए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण में दिनांक 14.10.2019 को 3.00 बजे आयोग मुख्यालय में बैठक आहूत की गई। बैठक के लिए दिनांक 04.10.2019 को कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय और प्राचार्य, चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कॉलेज को नोटिस भेजा गया था। बैठक में दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त कुलसचिव जे. चंद, संयुक्त कुलसचिव ए. के. प्रकाश और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कॉलेज से डॉ. ओ.पी राजौरा, सहायक कुलसचिव सुनील कुमार, सहायक कुलसचिव राजेश कुमार उपस्थित हुए।

4. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, श्री राजेश उरांव ने बताया कि वर्ष 2002 से स्टेनोग्राफर से वरिष्ठ सहायक के पद पर उनकी पदोन्नति लंबित है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य, विश्वविद्यालय के कुलसचिव और कुलपति को पत्र लिख चुके हैं लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है।

5. दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त कुलसचिव ने विश्वविद्यालय का पक्ष रखते हुए बताया कि राजेश उरांव वर्ष 1999 में कॉलेज में स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्त हुए थे। वर्ष 2004 में इनका मामला विभागीय पदोन्नति कमेटी के सामने गया था, पुनः वर्ष 2005 में भी कमेटी के सामने गया था। अप्रैल 2005 तक स्टेनोग्राफर से वरिष्ठ सहायक बनने का प्रावधान था लेकिन उसके बाद कार्यकारी परिषद के द्वारा स्टेनोग्राफर कैडर और सहायक कैडर को अलग-अलग कर दिया गया। उससे पहले स्टेनोग्राफर से वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति के लिए कुछ शर्तें थीं जैसे – मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना, स्नातक होना या डीपीसी के पिछले तीन वर्ष में दो विशिष्ट (outstanding), बहुत अच्छी (very good) ए.सी.आर होनी चाहिए। उस मानदंड के अनुसार ये योग्य नहीं पाए गए जिसके कारण पदोन्नति नहीं मिली।

6. अभ्यावेदक ने बताया कि वर्ष 2005 में उन्होंने स्नातक परीक्षा पास की थी, विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम देर से जारी किया गया। अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए भी उन्होंने कॉलेज से अनुमति ली थी। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही उन्होंने स्नातक किया हुआ है, विभाग की जानकारी में सब कुछ हुआ था। परीक्षा परिणाम देर से घोषित किए जाने में उनकी कोई गलती नहीं है, इसके बाद भी डीपीसी में उन्हें शामिल नहीं किया गया। आरटीआई के जरिए उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से उक्त डीपीसी की कॉपी भी मांगी थी लेकिन नहीं दी गई। वर्ष 2005 में जानबूझकर उन्हें रोकने के लिए एसटी की 1 सीट

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

को नियम विरूद्ध तरीके से एससी में परिवर्तित कर दिया गया। एसटी की श्रेणी में वे अकेले उम्मीदवार थे। आज के समय में वे परास्नातक हैं।

7. दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि श्री राजेश उरांव ने वर्ष 2005 के बाद 14 वर्षों के अंतराल के बाद वर्ष 2019 में इस संबंध में आवेदन किया। वर्ष 2009 में उन्हें एमएसीपी(Modified Assured Career profession Scheme) के तहत अगले पद के अनुसार मानदेय का लाभ प्रदान किया गया। प्रत्येक 10 वर्ष में इसका लाभ मिलता है। इस वर्ष 2019 में उन्हें एक और एमएसीपी का लाभ प्राप्त होगा।
8. विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया कि श्री राजेश का स्नातक दिसंबर 2005 में पूरा हुआ जबकि अप्रैल 2005 के बाद से दोनों कैडर अलग हो चुका था। हाईकोर्ट से निर्देश आया था जिसके बाद कार्यकारिणी परिषद के द्वारा यह फैसला लिया गया। कैडर विभाजन से पूर्व के पुराने नियमों के आधार पर पदोन्नति के इस मामले को विचार हेतु विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखा जा सकता है।
9. आयोग द्वारा यह पाया गया कि वर्ष 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्टेनोग्राफर और सहायक का कैडर अलग किया गया उस समय अभ्यावेदक को पदोन्नति का मौका नहीं दिया गया। अभ्यावेदक की नियुक्ति पुराने कैडर के अनुसार की गई जिसमें स्टेनोग्राफर के बाद वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नति मिलती लेकिन कैडर अलग करने से स्टेनोग्राफर के पदोन्नति की संभावना खत्म हो गई। कर्मी को पदोन्नति के लिए अतिरिक्त मौका नहीं दिया गया। पूर्व से कार्यरत कर्मचारियों पर पुराने प्रावधान ही लागू किए जाने चाहिए थे तथा बाद में भरे गए पदों पर विभाजित कैडर के नियम लागू किए जाने चाहिए थे। उन पर पुरानी सेवा शर्ते लागू नहीं की जा सकती।
10. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की-
    - दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक Supernumery पद का सृजन कर अभ्यावेदक को पूर्व तिथि, जब से पदोन्नति देय थी, पदोन्नति का लाभ दिया जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के अनुपालन में कार्यवृत्त प्राप्त होने के 1 माह के अंदर कार्रवाई रिपोर्ट से आयोग को अवगत कराया जाए।

8.11.19

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- RO/1/2019/MHRD2/SEPROM/RU - III)

श्री राजेश उरांव, सी-118, जीटीबी अस्पताल परिसर, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय अंतर्गत चिकित्सा विज्ञान के विश्वविद्यालय कॉलेज में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मियों की सूची-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) डॉ. नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष
  - (2.) श्री एस.के डामोर, माननीय सदस्य
  - (3.) श्री एस.के.रथ, संयुक्त सचिव
  - (4.) डॉ ललित लट्टा, निदेशक
  - (5.) श्री आर.के दुबे, स. निदेशक
  - (6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी**
  - (1.) श्री जे. चंद, संयुक्त कुलसचिव
  - (2.) डॉ. ओ. पी राजौरा, लाईजन अधिकारी
  - (3.) श्री ए. के प्रकाश, संयुक्त कुलसचिव
  - (4.) श्री सुनील कुमार, सहायक कुलसचिव, कॉलेज
  - (5.) श्री राजेश कुमार, सहायक कुलसचिव, कॉलेज
- **अभ्यावेदक**
  - (1.) श्री राजेश उरांव